मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 66 | अगस्त, 2021 | अंक 08 | कुल पृष्ठ 8

सरकार की COVID-19 टीके की प्राइसिंग पॉलिसी तर्कहीन

अरुण कुमार

भारत की वैक्सीन पॉलिसी में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिला है। भारत में टीकों का उत्पादन आदानों की उपलब्धता से हो सकता है और वैक्सीन की कमी जारी रहने की संभावना है । टीकाकरण की वर्तमान दर पर, कोई टीका हिचकिचाहट मानते हुए, 2021 में सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल लग रहा है।

टीकाकरण नीति में कई तर्कहीनताएं हैं। उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्र को टीका लगाने की अनुमति देना। उन्हें उपलब्ध आपूर्ति का 25% मिल रहा है लेकिन टीका लगाना थोड़ा है, जिससे असमानता हो रही है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से कहा है कि वह निजी क्षेत्र को केवल 5% टीकों की अनुमति दे जिसने वहां शायद ही किसी को टीका लगाया हो।

टीकों का मूल्य निर्धारण एक और मुद्दा है। निजी क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा मुनाफाखोरी का संदेह है। वे निश्चित रूप से दावा करते हैं कि उन्हें सुविधाएं स्थापित करने और आवश्यक परीक्षण करने के लिए उच्च पूंजीगत लागत उठानी पड़ी है। लेकिन बड़े पैमाने की विशाल अर्थव्यवस्थाओं और पोलियो जैसे अन्य टीकों के उत्पादन की बहुत कम लागत को देखते हुए, शुल्क लिया जा रहा मूल्य अधिक प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की प्राइसिंग पॉलिसी को 'तर्कहीन' कहा है।

टीकों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम नहीं करना एक और 'तर्कहीनता' है। यह अन्य मुद्दों के विपरीत अकेले सरकार के हाथ में है जो पूरी तरह से उसके हाथ में नहीं हैं। तो ऐसा करने में आनाकानी क्यों की जा रही है?

जीएसटी काउंसिल ने COVID-19 से जुड़ी कई वस्तुओं और दवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की है लेकिन

टीकों पर जीएसटी में कटौती को शून्य करने से इनकार कर दिया। विभिन्न राज्यों और संबंधित नागरिकों ने इसकी मांग की है। टैक्स कम नहीं करने का मौजूदा औचित्य यह है कि कंपनियों को इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा और इससे टीकों की कीमतों को कम करने में मदद नहीं मिलेगी ।

टीकों पर कर में कमी का प्रस्ताव करने वालों का सुझाव है कि इससे टीकों की कीमतों में कमी आएगी ।

कुछ वस्तुओं पर जीएसटी कटौती पर तर्क, लेकिन टीके नहीं

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और किसी भी वस्तु पर इसकी दर में कटौती से उस मद की कीमत कम होनी चाहिए। तो क्या जीएसटी अन्य अप्रत्यक्ष करों से अलग काम करता है? क्यों उत्पादन की श्रृंखला में कुछ बिंदु पर अपनी दर में कमी अंतिम अच्छा या सेवा की कीमत कम करने के लिए नेतृत्व नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन निर्माता को टीकों पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा यदि जीएसटी की दर को शून्य पर लाया जाता है और इसलिए टीकों की कीमत में गिरावट नहीं आएगी? जीएसटी की इस खास विशेषता का विश्लेषण करने की जरूरत है।

इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वेंटिलेटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर और हैंड सैनिटाइजर, इलेक्ट्रिक फर्नेस और एंप्लॉयीज जैसे आइटम्स पर हेपरिन और रेमडेसिलिवर जैसी दवाओं पर जीएसटी की दर कम की गई है। इसके अलावा, Tocilizumab पर, कर की दर वास्तव में 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है । अत क्या कर की दर को केवल टीकों पर शून्य पर लाने के संबंध में कोई विशेष समस्या है?

केंद्र सरकार ने यह भी दलील दी है कि वह वैकेंसी खरीदेगी और टैक्स का भुगतान करेगी ताकि जनता को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। तर्क यह है कि टैक्स का बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा तो चिंता क्यों? लेकिन यह एक अजीब तर्क है । सरकार किसके लिए टैक्स का भुगतान करेगी? खुद के लिए। इसलिए एक हाथ से सरकार टैक्स का भुगतान करेगी और दूसरे हाथ से उसे प्राप्त होगी। यह बजट के खर्च और राजस्व पक्ष दोनों पर गिना जाएगा और सरकार के घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल, उत्पादकों और सरकार दोनों के लिए एक अतिरिक्त प्रशासनिक लागत (हालांकि छोटी) होगी । इसलिए शुद्ध नुकसान होगा।

निजी क्षेत्र 25 फीसद टीके खरीदकर टैक्स का भुगतान करेगा और इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। निजी क्षेत्र में टीका लगाए जाने वाले अच्छी तरह से बंद वर्गों को यह कर भार वहन करना होगा और यह ठीक

हो सकता है क्योंकि इसका भुगतान अच्छी तरह से और व्यवसायों द्वारा किया जाएगा ।

तो, कर प्रमुख विचार है? फिर क्यों ध्यान केंद्रित करने वालों और ऑक्सीमीटर जो केवल अच्छी तरह से व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च कर सकते है पर कर की दर को कम। आखिर सरकारी अस्पतालों को गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देना है, इसलिए इन मदों पर टैक्स की दर कम न होने पर भी उन्हें खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा।

मध्यम वर्ग और भलाई की पूर्ति करने वाले निजी अस्पताल टैक्स चुका सकते थे और अपने मरीजों से शुल्क ले सकते थे, जिनमें ज्यादातर सुसाइड कर लेते थे । इसलिए सरकार के तर्क में विषमता तब है जब वह कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करती है लेकिन टीकों पर नहीं।

इनपुट क्रेडिट तर्क

मूल्य वर्धित कर (वैट) और बाद में जीएसटी लाने का एक बड़ा कारण कर पर कर के व्यापक प्रभाव को कम/खत्म करना था। यह वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभावी कर दर को कम करने और इस तरह कीमतों को कम करने के लिए किया गया था । लेकिन, यदि प्रत्येक चरण में राजस्व तटस्थता है तो वैट से कीमतों में गिरावट नहीं आएगी और वैट के रूप में जीएसटी लागू होगा ।

हो सकता है कि जैसा कि हो सकता है, वैट अंतर्निहित विचार यह है कि उत्पादन की एक श्रृंखला में, केवल प्रत्येक चरण में जोड़ा मूल्य कर लगाया जाता है । इसलिए, पहले चरण में चुकाए गए कर जो उत्पादन के मूल्य में शामिल है, पर फिर से कर नहीं लगाया जाता है। यह गणना और लागू करने के लिए जटिल है।

इसलिए एक सरलीकृत प्रक्रिया अप. नाई जाती है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में उत्पादन के मूल्य पर कर की गणना करें और पिछले चरण में भुगतान किए गए कर से घटाएं।

उदाहरण के लिए, ए (वैक्सीन निर्माता) एक टीका का उत्पादन करने के लिए बी से इनपुट के 50 रुपये खरीदता है और यह इसके साथ बी द्वारा भुगतान किए गए 5 रुपये का कर वहन करता है। फिर अंतिम वैकेंसी पर जो भी टैक्स लगाया जाता है, उससे 5 रुपये घटाएंगे। मान लें कि एक टीका बनाने के लिए एक और 50 रुपये जोड़ता है ताकि उसकी अंतिम कीमत 100 रुपये हो जाए । अब अगर उसे इस पर 12% जीएसटी देना है तो वह 12 रुपये (100 रुपये पर) की गणना करेगी और इससे 5 रुपये पहले से ही इनपुट पर भुगतान कर देगी। इसलिए, वह जीएसटी के रूप में 7 रुपये का भुगतान करेगी। सरकार दो चरणों में कुल कर के रूप में 12 रुपये एकत्र करती है। एक उपभोक्ता को वैक्सीन के

लिए 107 रुपये चार्ज करेगा।

नोट उपभोक्ता वसूले गए टैक्स के रूप में पूरे 12 रुपये का भुगतान करता है। यह अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति है–उपभोक्ता अंतिम बोझ वहन करता है, भले ही उत्पादन और वितरण के विभिन्न चरणों में कर का भुगतान किया जाता है ।

उल्टे शुल्क संरचना

एक विशेष समस्या तब उत्पन्न होती है जब इनपुट पर कर की दर आउटपुट की तुलना में अधिक होती है। मान लीजिए कि टीकों पर कर की दर 5% है और उपरोक्त उदाहरण में 12% नहीं है । इसके बाद जीएसटी के रूप में 5 रुपये का भुगतान करना होगा लेकिन चूंकि बी द्वारा भुगतान किए गए 5 रुपये को घटाया जाना है, इसलिए वह शून्य कर का भुगतान करती है । इस तरह बिक्री मूल्य 100 रुपये होगा।

मान लीजिए कि सरकार वैक्सीन पर टैक्स की दर 5% से घटाकर 0% कर लाती है। अब बी द्वारा चुकाए गए 5 रुपये के टैक्स को ए (जो 0 है) द्वारा चुकाए जाने वाले टैक्स से घटाया नहीं जा सकता। इस तरह ए द्वारा वसूले जाने वाले दाम 100 रुपये होंगे। सरकार इनपुट्स से मिलने वाले 5 रुपये ही वसूलेगी और उपभोक्ता इस टैक्स का भुगतान करता है। ए को बी द्वारा भुगतान किए गए इनपुट क्रेडिट का कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन क्या एक खो देता है? नहीं। क्या उपभोक्ता या सरकार हार जाती है? नहीं।

उपभोक्ताओं को फायदा होगा और अगर इनपुट पर चुकाया गया टैक्स भी कम हो जाता है तो सरकार को टैक्स का नुकसान होगा।

जीएसटी के तहत पालन किए गए सिद्धांतों में से एक यह रहा है कि अनिवार्य पर कम दरों पर या शून्य दर पर कर लगाया जाना चाहिए। इसलिए गेहूं पर सीधे तौर पर जीएसटी नहीं लगता। अब महामारी में बीमारी को नियंत्रित करने के लिए टीके नितांत आवश्यक हैं। यह सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक होना चाहिए । अन्यथा, आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से फिर से शुरू नहीं हो सकती और लहरों का खतरा गुप्त रहेगा । इसलिए टीकों के उत्पादन की पूरी श्रृंखला पर 0 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें आयातित आदानों पर कर भी शामिल है। टीकाकरण से जुड़ी बाहरीताओं को देखते हुए इसे सार्वजनिक भलाई माना जाना चाहिए और सभी नागरिकों के लिए मुफ्त बनाया जाना चाहिए । वर्तमान अंतर मूल्य निर्धारण के कारण असमानता हो रही है ।

सरकार इस पर जीएसटी दर घटाकर वैक्सीन की कीमतों को कम करने में मदद कर सकती है। राजस्व का कुछ नुकसान होगा लेकिन अर्थव्यवस्था

के तेजी से ठीक होने के साथ ही कहीं अधिक एकत्र हो जाएगा। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो टीका उत्पादन की पूरी श्रृंखला को करों से छूट देने का मामला है।

टीकाकरण नीति में कई तर्कहीनताओं में से सबसे आसान टीकों पर जीएसटी में कटौती करना है क्योंकि सरकार ज्यादातर खुद से कर एकत्र कर रही है, अनावश्यक खर्च वहन कर रही है।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

खाद्य प्रणालि में ताकत का असंतुलन

अजय वीर जाखड़

पर्यावरण के मुद्दों का अध्ययन करने वाले विद्वान अक्सर जलवायु परिवर्तन और ग्रीनहाउस उत्सर्जन के लिए किसानों को ही दोषी ठहराते हैं। जबकि किसान पूरी इमानदारी से प्राकृतिक संसाधनों और मिट्टी का सही प्रंबधन करते हैं ताकि प्राकृति का ज्यादा नुकसान ना हो। असल में किसान कोई ऐसी पद्धति अपनाता है जो टिकाऊ नहीं उसके लिए नई तकनीक और अनुसंधान है जो एक खास रिसर्च सिस्टम के जरिये आए हैं और इनमें निजी क्षेत्र की भी भूमिका है। लेकिन यह बात कोई भी आपको नहीं बताता है।

वहीं अब, हम किसानों से यह उम्मीद की जा रही है कि हम परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चली रही आ रही खेती कि विधियों और तकनीक को भूल जाएं और जलवायु के अनुकूल खेती करें, भले ही यह बदलाव हमारे लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो । यह बदलाव निश्चित रूप से जरूरी है । लेकिन यह बदलाव तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक खेती एक सम्मानजनक व्यवसाय न बन जाय जिसमें किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किया जाय।

कृषि जलवायु परिवर्तन के सामाधान हिस्सा अवश्य बन सकती है लेकिन उसके लिए सरकारों को भी फार्म इको–सिस्टम से जुड़ी सेवाओं पर खर्च करना होगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य उत्पादों पर अधिक कर लगाना होगा। पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता के लिए सब्सिडी को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। नीति निर्धारकों और व्याहारिकता विज्ञान की मदद से ऐसे कई कदम उठाए जा सकते हैं जिससे उपभोक्ता स्वास्थय से परिपूर्ण खाद्य पदार्थों को अपानाएं।

निम्न और मध्यम आय वाले देशो में खराब गवर्नेंस और कमजोर संस्थाएं टिकाऊ विकास के लिए सबसे बड़ी अड़चन बने हुए हैं। इन अड़चनों को पार करने के लिए किसी बड़े आर्थिक निवेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर एक अच्छे

नेतृत्व की जरूरत है जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है।

दुनिया में हर नौ में से एक इंसान भूखा सोता है और इसका कारण अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति नहीं है बल्कि इसका कारण प्राथमिक पोषक तत्व वाले खाद्य उत्पादों को सिस्टम के जरिये महंगा और सामान्य लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। एक तिहाई खाद्य पदार्थों की बरबादी होने के बाद भी नीति निर्धारकों का ध्यान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर ही रहता है। इसके चलते सब्सिडी का अधिकतर हिस्सा किसानों के पास पहुंचने की बजाय कुछ कंपनियों के पास पहुंच जाता है।

कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की एकतरफा सोच के चलते बड़े पैमाने पर खाली पड़ी भूमि को खेती के काम में लाया गया। इस वजह से सघन खेती की गतिविधियों से पानी, रसायन और एंटीबायोटिक्स का जरूरत से इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही जैविक बदलाव और आनुवंशिकीय संशोधन (जेनेटिकली मोडिफाइड) जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया गया।

1970 के बाद से इन प्रक्रियाओं के चलते जंगली स्तनधारी पशु, पक्षियों, उभयचरों और सर्पेंटाइल्स की आबादी में औसतन 68 फीसदी की कमी देखने को मिली है। इस तरह के खतरनाक जैव विविधता के नुकसान के साथ, जीवन का चक्र धीरे–धीरे थम रहा है।

अफसोस की बात है कि कोराना महामारी के आने के बाद से खाद्य, खुदरा, कृषि और प्रौद्योगिकी (FRAT) के क्षेत्रों में ताकत और पैसे का केंद्रीकरण तेजी से बढ़ा है। लगता है कि आने वाले समय में खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग के क्षेत्र में कुछ ताकतवर कंपनियों ही दबदबा रहेगा और वही तय करेंगी की बाजार में क्या विकल्प उपलब्ध होंगे। फ्रैट (FRAT) के इन ताकतवर खिलाड़ियों के पास ही वह सब कुछ निर्धारण करने की ताकत होगी जो तय करेगी कि हम क्या खाएं और किसान क्या उत्पादन करे।

यह बात सच है कि कारपोरेट वालंटियरिज्म ने कभी खुद बेहतर काम नहीं किया है इसलिए हमें FRAT उद्योग को जवाबदेह बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है। अगर हम हाल के अनुभवों को देखें तो अधिकांश सरकारों के एंटी ट्रस्ट नियम और विनियमन संस्थाओं का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इस के चलते छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और उत्पादकों को तेजी से बाजार बाहर किया जा रहा है।

आज की खाद्य प्रणालियों में नजर आ रही इन कमजोरियों के पीछे सालों से चल रहा सत्ता का खेल भी है। खाद्य और कृषि व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की संधियों के अनुमोदन के दो दशक बाद भी आज दुनिया के सबसे

अधिक गरीब शुमार होने वाले वर्गों में ग्रामीण खेतिहर समुदाय की 80 फीसदी की भागीदारी हैं। यह कैसी विडंबना है कि जिन लोगों का काम दुनिया का पेट भरना है, वह खुद इस दुनिया मे सबसे लंबे समय तक भूखे रहने वाले लोगों में से हैं। अब ग्रामीण खेतिहर समुदाय पोषण के लिए बाजारों पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। जहां वह आपूर्ति करने के व्यवधानों और महंगी कीमतों की मार की चपेट में आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते उचित खाद्य प्रणालियों को अपनाने के लिए व्यापार संधियों को और भी ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने की जरूरत है।

इन बुनियादी मुद्दों को हल करने के लिए किफायती तरीके भी हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ विकल्म देखे जा सकते हैं। यह समझते हुए कि बाजार और व्यापार महत्वपूर्ण हैं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किचन गार्डन और बैकयार्ड पोल्ट्री पोषण में सुधार के लिए और ग्रामीण जीवन को बाजार के उतार–चढ़ाव के खिलाफ अधिक लचीला बनाने के लिए सटीक और विश्वसनीय तरीके हैं। घर में ही बगीचा लगाने से खाद्य जरूरतों की आपूर्ति हो सकती है । इसके अलावा इससे घरेलू बचत भी होगी और भोजन की बर्बादी को कम करने में भी मदद मिलेगी ।

इन प्रत्यक्ष फायदों के बावजूद घरेलू खपत के लिए घरेलू बागवानी और उत्पादन के अन्य फायदों के बारे में लोगों के बीच जानकारी की कमी है। इसकी वजह इन इन प्रथाओं पर बहुत कम शोध किया जाना है । खाद्य मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाएं ऐसे सस्ते और किफायती उपायों में अधिक निवेश क्यों नहीं करतीं, जो बिना मुश्किल बढ़ाने वाले समझौतों के अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।

इसका एक कारण यह है कि ज्यादातर ऐसी संस्थाए पूंजी–प्रधान व्यवसायों का समर्थन करने में व्यस्त हैं । दूसरा कारण यह है कि अधिकतर शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञ छोटे किसानों के जीवन के अनुभवों से अनजान हैं, इसलिए वह ऐसे प्रस्तावों के प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं। असल में इल तरह की रणनीति के लाभार्थियों के साथ धैर्य के साथ चर्चा करने के लिए कोई भी समय निकालने और विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

प्रतिनिधित्व का न होना और समानता की कमी ने दुनिया में एक व्यापक समस्या का रूप ले लिया है। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम और देवेश कपूर ने हाल ही में उल्लेख किया है। विकास अर्थशास्त्र (डवलपमेंट इकोनामिक्स) पर विश्व बैंक के प्रतिष्ठित वार्षिक बैंक सम्मेलन के लिए पेपर लिखने वालों में से केवल 7 फीसदी ही विकासशील देशों से हैं। जब बहुत सारे अकादमिक शोध खाद्य मूल्यवर्धिन श्रृंखलाओं के पक्ष में हैं और जो हमेशा बड़े समूहों द्वारा नियंत्रित होते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23

प्रकाशन की तिथि : 1 अगस्त, 2021
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, नई दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, अगस्त 2021

है कि खाद्य प्रणालियां अधिक न्यायपूर्ण नहीं बन पाई हैं। हर हफ्ते खाद्य पदीर्थों और खाद्य प्रणालियों को लेकर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं लेकिन शायद ही पैनल या स्पीकर सूचियों में कोई किसान शामिल होता है।

दानदाताओं और जनहितैषियों द्वारा विकासशील देशों को धन दिया जाता है लेकिन यह राष्ट्रीय खाद्य नीतियों को प्रभावित करते हैं। शायद ही कोई इन देशों में कोई इन जनहितैषियों के वास्तविक उद्देश्यों पर विचार करने को तैयार होता कि क्या इन दानदाताओं का उद्देश्य देश के छोटे किसानों के हितों से मेल खाता है?

यह ताकतें और मौजूदा परिस्थितियां दुनिया को यह समझाने के हमारे उस काम को और मुश्किल बना देती हैं जिसका मकसद है कि अब वक्त आ गया है कि कहानी को नए सिरे से लिखा जाए। यदि हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हमारे भोजन का उत्पादन करते हैं, वह अधिक टिकाऊ व स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाएं तो सबसे पहले हमें उन्हें बेहतर जीवन स्तर, बेहतर फसल कीमतें और सम्मान देकर सशक्त बनाना होगा।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

सूचना

भारत कृषक समाज, अपने सदस्यों के संबंध में संपर्क विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया में है। सदस्यों को अपना पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, पिन कोड नंबर, ई–मेल आईडी, यदि कोई हो, महासचिव, भारत कृषक समाज, ए–1, निजामुद्दीन पश्चिम, नई–दिल्ली–110013 को भेजना आवश्यक है।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।